INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 4 | MAY – 2025

राज्य में कृषि आधारित उद्योग की स्थितिः एक अध्ययन

डॉ. मिथिलेश कुमार यादव
वाणिज्य विभाग, स्नातकोत्तर वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग,
ल० ना०मि०वि०, कामेश्वरनगर, दरभंगा.

भूमिका

बिहार पूरे देश में कृषि के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस राज्य को प्रकृति एवं उपयुक्त जलवायु का आर्शीवाद प्राप्त है, जो विभिन्न प्रकार के फसलों के लिए जरूरी है। इस राज्य में आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजिविका के लिए कृषि पर केन्द्रित है। जबकि कई प्रमुख फसलों, फलों और सब्जियों के प्रमुख उत्पादक होने के बाबजूद राज्य में प्रसंस्करण काफी अपर्याप्त है, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में बहुत नुकसान होता है, जिससे न केवल किसानों के आय स्तर मे कमी होती है, बल्कि राज्य के अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राज्य में फसल कटाई के बाद आधुनिक प्रसंस्करण से न केवल नुकसान कम होगा बल्कि किसानों को अधिक आय की प्राप्ति होगी। इस क्षत्र में उत्पादकता लाभ एवं अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। इस दृष्टिकोण से कृषि के विविधीकरण और व्यवसायीकरण, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, मूल्यवर्धन और निर्यात संभावनाओं के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की क्षमता पर विचार करते हुए, बिहार राज्य ने कृषि आधारित उद्योग के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भारत के कुल फलों और सब्जियों के उत्पादन का लगभग 14 प्रतिशत बिहार का योगदान है। इसे 1247 मि0ली0 वार्षिक वर्षा के साथ–साथ प्रकृति के द्वारा अनुकूल जलवायु एवं उपजाऊ मिट्टी का आर्शीवाद प्राप्त है। फलों एवं सब्जियों का क्षेत्र करीब 10.64 लाख हेक्टेयर है, जिसमें प्रतिवर्ष 151.71 मीट्रिक टन उत्पादन है। बिहार की गिनती अब फलों एवं सब्जियों के एक प्रमुख उत्पादक राज्य के रूप में होता है, जिसमें लीची एवं अमरूद के उत्पादन में प्रथम, आम में तृतीय एवं केला उत्पादन में छठा स्थान प्राप्त है। पूर्वी बिहार फलों और सब्जियों के उत्पादन में आगे है। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर केला, अनानास, अमरूद, पपीता, लीची और कई प्रकार के खट्टे फल का उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में उत्पादन की जाने वाली सब्जियों में आलू, गोभी, फूलगोभी, बैगन, टमाटर, भिंडी, प्याज, मिर्च, परवल प्रमुख है। जबकि फलों एवं सब्जियों के उत्पादन एवं प्रसंस्करण में बहुत अंतर है, तथापि इसकी अपार संभावनाएँ है।

बिहार एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था

बिहार कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। 15 नवम्बर 2000 को राज्य के विभाजन के बाद सभी खनिज संपदा झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र में चले गये। जिसके फलस्वरूप बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद जैसे–अधिक उपजाऊ भूमि, पर्याप्त जल भंडार, विभिन्न फलों एवं सब्जियों की अधिक गुणवत्ता, पर्याप्त अनाज उत्पादन, डेयरी पशुओं की प्रचुर उपलब्धता, मत्सय पालन की उच्च क्षमता, सुआर पालन इत्यादि, कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के औद्योगिक विकास की स्थिति, उसके विस्तार की प्रवृत्ति और हतोत्साहित करने वाली बन गई है।

वास्तव में राज्य के विभाजन ने बिहार को पीछे धकेल दिया है। इसके फलस्वरूप औद्योगिक विकास के स्तर में कमी हुई है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बिहार के उद्योगों ने 9.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2002.03 के दौरान, 1993–93 की कीमतों पर बिहार का सकल घरेलु उत्पादन 32004 करोड़ था, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र से आय का योगदान मात्र 1020 करोड़ (3.19%) था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 20.10 प्रतिशत था। तालिका से यह भी आँका जा सकता है कि बिहार में औद्योगिक क्षेत्र की कुल आय राष्ट्रीय आँकड़े का केवल 0.4 प्रतिशत था।

Table-1 Size of Industrial Sector in Present Bihar

SN		Particular	Bihar	India	% age share of Bihar
1.		Gross Domestic Product (Rs. Crore)	32,004	11,89,773	2.7
2.		Income of Industrial Sector (in Crore Rs.)			
	a.	Registered	445	1,58,240	0.3
	b.	Un-registered	575	80,904	0.7
	c.	Total	1,020	2,39,144	0.4
3.		Share of 2 in 1			
	i.	Percentage share of 2 (a)	1.4	13.3	-
	ii	Percentage share of 2 (b)	1.8	6.8	-
	iii	Percentage share of 2 (c)	3.2	20.1	-

Note: Data related to income are based on the prices prevailing during 1993-94 and are the triennium average of years nearer to the year 2002-03.
Source- Economic Sourvey, GoB

इस तालिका से यह स्पष्ट है कि अपंजीकृत औद्योगिक ईकाईयों (1.8) की संख्या पंजीकृत ईकाईयों से ज्यादा है। यह पूरे भारत के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत से काफी कम है। अपंजीकृत औद्योगिक ईकाईयों का प्रभुत्व, बड़ी और मध्यम औद्योगिक ईकाईयों के विस्तार की गति के माध्यम से यह बिहार में विशेष रूप से कृषि प्रसंस्करण उद्योग (ए0पी आई0) तथा अपंजीकृत ईकाइयों के पर्याप्त विकास के लिए एक उज्जवल भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है।

कृषि आधारित उद्योग की प्रकृति एवं संरचना –

बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की प्रकृति एवं संरचना पर व्याख्या करने से पहले, लघु उद्योगों की सीमा और संरचना को संक्षेप में बताना उचित होगा जिसमें मुख्य रूप से एस.एस. आई., लघु सुक्ष्म ईकाई और कारीगर शामिल है।

यह अधिक जरूरी है, क्योंकि ए0पी0 आई0 के उत्साह और अच्छे प्रदर्शन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लघु एवं कुटीर उद्योगो को स्थिरता में मदद मिलती है। इस कथन की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि ए.पी.आई. और लघु एवं कुटीर उद्योग। सुक्ष्म ईकाईयों एक दूसरे से संबंधित एवं निर्भर है।

लघु उद्योग

लघु उद्योगों और कारीगर आधारित उद्योगों के प्रभुत्व वाले छोटे उद्योग किसी क्षेत्र के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उत्पादकता और कुल उत्पादन का स्तर कम रहने पर भी रोजगार सृजन में उसका उचित योगदान है। 2007–08 में इस क्षेत्र द्वारा प्रदान किया गया कुल रोजगार दिसंबर 2007 तक 5.5 लाख था। यह अनुमान लगाया गया था कि राज्य में 1.5 हजार लघु उद्योग, 98000 लघु सूक्ष्म उद्योग और 68000 कारीगर आधारित औद्योगिक ईर्कायाँ है, जिसमें कुल 88752 लाख रूपया निवेश किया गया है।

कृषि आधारित औद्योगिक विकास के प्रमुख निर्धारकों में से एक कृषि क्षेत्र की प्रकृति और संरचना और फसल मिश्रण में विभिन्न फसलों को दिए गये सापेक्ष महत्व है। उदाहरण के लिए उच्च मूल्य वाली कृषि अनाज की तुलना में प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन की अधिक संभावना प्रदान करती है। फल, सब्जियाँ, दूध,, अंडा इत्यादि का प्रसंस्करण इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। पहले राज्य में फलों और सब्जियों का रकबा 27000 हेक्टेयर था और 2006–07 में उत्पादन लगभग 1.33 मिट्रिक टन था। बिहार 8400 मीट्रिक टन के वार्षिक उत्पादन के साथ शहद के उत्पादन में भी शीर्ष स्थान पर है। इस संदर्भ में यह देखा गया है कि बिहार में शहद की औसत उत्पादन केवल 20 के राष्ट्रीय औसत के झुकाब से 60 किलोग्राम प्रति डिब्बा है। इस गतिविधि का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि 1 लाख से अधिक परिवार सीधे शहद उत्पादन में लगे हुए है।

कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों के विघटन क्षेत्र के तहत राज्य में डेयरी प्रसंस्करण क्रियाओं के महत्वपूर्ण योगदान का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। वास्तव में राज्य मे दो प्रमुख कृषि आधारित उद्योग डेयरी तथा चाय है। सहकारी समितियों के द्वारा डेयरी क्षेत्र का विकास हुआ है। सुधा के ब्रांड नाम के तहत दूध और दूग्ध उत्पादों का सहकारी ब्रांड महत्वपूर्ण ग्रामीण रोजगार एवं आय प्रदान करता है। जिसमें महिलओं की सक्रिय भागीदारी है। हाँलाकि इस क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के डेयरी उत्पादों के बढ़ते बाजार की सेवा के लिए अधिक गहन गतिविधियों के लिए आधार प्रदान करता है।

डेयरी प्रसंस्करण क्रियाओं की बड़ी क्षमता के अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पान और उद्यमियों की उनके मूल्यवर्धन संबंधी क्रियाओं के आधार पर एक ज्वलंत एकाग्रता और विस्तार की प्रमुख उपस्थिति है। निःसंदेह बिहार राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अपार संभावनाएँ है। इस तरह के प्रयासों से बढ़ी हुई कृषि उपज जैसे (i) फसल की तीव्रता में वृद्धि (ii) फसल रोटेशन (iii) सिंचाई (iv) वैज्ञानिक फसल प्रबंधन (v) उच्च बीज प्रतिस्थापन दर आदि उच्च विपणन योग्य अधिशेष को उत्पन्न करेगा।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बिहार में लघु उद्योगों द्वारा वर्धित सकल मूल्य का लगभग आधा कृषि आधारित उद्योगों द्वारा योगदान दिया जाता है, उन सभी क्षेत्रों में कृषि खाद्य आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए एडिडिंग

योगदान को डिजाइन किया जाना है, जहाँ कृषि वस्तुओं, फलों, सब्जियों का अधिशेष उत्पादन लाभकारी बाजार परिवजन सुविधाओं या भंडारण सुविधाओं के अभाव में बर्बाद हो जाता है।

असंगठित निर्माण क्षेत्र की आर्थिक संरचना

बिहार में कृषि खाद्य, कृषि गैर खाद्य आधारित प्रसंस्करण उद्योगों और गैर कृषि आधारित उद्योगों की स्थिति एवं परिवर्तन की आँकड़ा आधारित तस्वीर प्रस्तुत करती है। विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों के लिए कार्यरत ईकाईयों की संख्या में परिवर्त्तन को वर्ष 1994–95 और 2000–01 के लिए असंगठित निर्माण क्षेत्र के लिए उपलब्ध आँकड़ों और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रदान किये गये आँकड़ो को ध्यान में रखते हुए मापा गया है। तालिका को देखने पर यह स्पष्ट है कि वर्ष 1994–95 में; कृषि आधारित उद्योग (कृषि खाद्य एवं गैर कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग) कुल काम करने की संख्या का 53 प्रतिशत (7,11,279) साझा करते थे। गैर कृषि आधारित उद्योगो ने कुल कृषि आधारित उद्योगों की तुलना में 47 प्रतिशत से थोड़ा कम योगदान दिया है।

वर्ष 2000–01 में उद्योगों की कुल संख्या में कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की हिस्सेदारी बढ़ी है। लेकिन इस अवधि में रोजगार के आकार में बहुत कमी आई है। तालिका 2.3 के आँकड़े बताते हैं कि 2000–01 में कुल गैर कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार में भी तेजी से गिरावट आई है। यह 10,56,11 से घटकर 475,882 हो गया। सभी उद्योगी द्वारा सृजित कुल रोजगार में से गैर–कृषि आधारित उद्यमों का हिस्सा इस अवधि के दौरान 41.63 प्रतिशत से घटकर 31.74 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2000–01 के अनुमानित सकल मूल्य से संबंधित तालिका में कृषि–प्रसंस्करण उद्योगों (खाद्य और कृषि गैर खाद्य आधारित) द्वारा योगदान देने के लिए काफी अधिक योगदान (60.46%) है। सभी उद्योगों द्वारा कुल जी.बी.ए. में से गैर कृषि आधारित प्रसंस्करण गतिविधियों का हिस्सा 8302,954 (39.54%) था। कृषि गैर साथ प्रसंस्करण उद्योगों का योगदान 55,41,159 (26.39%) कृषि खाद्य उद्योगों से काफी नीचे था। जहाँ तक प्रति उद्यम मूल्य वर्धित का संबंध है तालिका में दिखाये गये आँकड़ा इस बात का विस्तार करने के लिए आधार प्रदान करता है कि कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्यम 55368 रू कृषि गैर खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों 55009 रूपये था।

समग्र स्तर पर असंगठित विर्निमाण खंड के तहत कृषि–प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए प्रति उद्यम मूल्य वर्धित गैर कृषि आधारित प्रसंस्करण गतिविधियों (14291 रूपये) की तुलना में लगभग 3.90 गुणा अधिक 55767 रूपये था।

कृषि खाद्य और कृषि गैर खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियाों में प्रति कर्मचारी क्रमशः कम मूल्य वर्धन 12404 रूपये और 11813 रू. दर्ज किया गया। कुल मिलाकर यह रूपया सभी उद्योगों के लिए 14005 रूपये था। कृषि गैर खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में चमड़े, लकड़ी और कपड़ा आधारित उद्यमों (15156,रू, 12337रू और रू8893 क्रमशः था।) चूँकि अनुमानित जी.वी.ए. मूल्य वर्धित प्रति उद्यम और मूल्य वर्धित प्रति कर्मचारी से संबंधित कोई डेटा वर्ष 1994–95 के लिए उपलब्ध नहीं थेः इसलिए इन मानदंडों पर स्थिति में तुलनात्मक चित्र नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है।

बिहार में कृषि आधारित उद्योगों (कृषि खाद्य एवं कृषि गैर खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों सहित) की हिस्सेदारी और पर्याप्त मात्रा को देखते हुए मौजूदा ईकाईयों की परिचालन क्षमता के विस्तार, सुदृढीकरण और रख रखाव के सभी संभव उपाय किये जाने चाहिए। यह कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों के स्पष्ट प्रभुतव को देखते हुए विशेष रूप से प्रदान

किये रोजगार, सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.), प्रति कर्मचारी जी. वी.ए. और प्रति उद्यम रोजगार के संबंध में प्रकाश डालता है।

प्रत्यक्ष उपभोग, औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए विभिन्न कृषि आधारित उत्पादों की बढ़ती माँग के आलोक में हमारे देश में कृषि आधारित औद्योगीकरण प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। इसलिए सामान्य रूप से भारत के औद्योगिक क्षेत्र में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उद्योग के महत्व को दर्शाने की आवश्यकता है। अखिल भारतीय स्तर पर निर्माण क्षेत्र में ईकाईयों की संख्या रोजगार और उत्पादन के संदर्भ में कृषि आधारित उद्योग की हिस्सेदारी क्रमशः 65 प्रतिशत, 63 प्रतिशत और 35 प्रतिशत है। ग्रामीण भारत में ईकाईयों की संख्या, रोजगार और उत्पादन में इसके हिस्से के अनुरूप तीन आँकड़े 71.3 प्रतिशत, 70.6 प्रतिशत और 43.4 प्रतिशत है। यह बतलाना भी जरूरी है कि कृषि उद्योग बड़े पैमाने पर छोटे पैमाने के उद्योगो के लिए जरूरी है। जैसा कि 1994–95 में बताया गया था कि कृषि औद्योगिक क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छोटे–छोटे उद्यमों की हिस्सेदारी 99.4 प्रतिशत है। कृषि औद्योगिक क्षेत्र के ग्रमीण घटक में ईकाईयों की संख्या रोजगार और उत्पादन में क्रमशः 99.7 प्रतिशत, 93 प्रतिशत और 42.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ असंगठित क्षेत्र का अधिक वर्चस्व है।

खाद्य प्रसंस्करण

राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अपार संभावनाएँ हैं। अगर इसे ठीक से विकसित किया जाए तो कम से कम 5 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा कर सकता है। अनाज के प्रसंस्करण के अलावा फलों और सब्जियों में काफी संभावना है। आम, लीची, केला आदि का प्रसंस्करण, आय और रोजगार प्रदान करने के अलावा मौसमी भंडारण और उसके पोषक मूल्य के प्रतिधारण का भी ध्यान रखेगा। मखाना एक अन्य प्रमुख स्थानीय फसल है, जो ग्रामीण लोगों की आय और रोजगार बढ़ाने में मदद कर सकती है। मखाना की खेती राज्य के उत्तर पूर्वी भाग के लगभग 10 जिलों में 1690 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। पटना में पहले से ही एक मखाना प्रसंस्करण संयंत्र सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए उद्योग विभाग ने बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए 1760 करोड़ की परियोजना बनाई है। इस परियोजना के अन्तर्गत 100 ग्रामीण वाणिज्यक और प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों पर 500 करोड़ रू0 खर्च होंगे। दो एकीकृत खाद्य क्षेत्रों के निर्माण के लिए 250 करोड़ रूपये निर्धारित किये गये है। मत्सय उद्योग के लिए भी 200 करोड़ रूपये का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण ईकाईयों की सहायता के लिए केन्द्र सरकार द्वारा हाजीपुर में एक फुडपार्क स्थापित किया जा रहा है। संपूर्ण 11वीं योजना अवधि के लिए इसका परिव्यय 400 करोड़ रूपये है।

कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में किशनगंज क्षेत्र को चाय बगान और प्रसंस्करण के लिए कए आदर्श क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। राज्य सरकार चाय उद्योग के व्यापक विकास के लिए निजी निवेश का स्वागत करती है। क्षेत्र में चाय प्रसंस्करण ईकाईयों की स्थापना के लिए पूँजीगत रियायत उपलब्ध है, इसके अलावा राज्य में औषधीय जड़ी बूटियो और सुगंधित पौधों की खेती और प्रसंस्करण के विकास की संभावनाएँ इसके प्राकृतिक वातावरण के कारण प्रचुर मात्रा में है। निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है।

बिहार में कृषि गैर खाद्य आधारित प्रसंस्करण उद्योग

बिहार में कृषि गैर खाद्य आधारित प्रसंस्करण गतिविधियों में मुख्य रूप से वस्त्र, लकड़ी, चमड़ा आधारित प्रसंस्करण उद्योग शामिल है। बिहार में कपड़ा आधारित एपीआई के विस्तार नीचे प्रस्तुत किया गया है।

कपड़ा आधारित प्रसंस्करण गतिविधि

कपड़ा और हथकरघा क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार ने सार्वजनिक/निजी भागीदारी में एक कपड़ा पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है। इस योजना की कुल लागत में 40 प्रतिशत या अधिकतम रू 40 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा अंश के रूप में 9 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी और शेयर के रूप में निवेश किया जायेगा। फिर से भागलपुर में एक हथकरघा पार्क की भी योजना बनाई जा रही है जिसमें सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ शामिल है। बुनकरों के लिए कच्चा माल बैंक, पूर्व और बाद के प्रसंस्करण सुविधाएँ, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, परीक्षण प्रयोगशाला, सूचना एवं प्रशिक्षण केन्द्र आदि उपलब्ध कराये जायेंगे।

आई एल एस एफ एस द्वारा तैयार की गई एक विस्तृत परियोजना 34.03 करोड़ रूपये के जमा किये गये है और राज्य सरकार पहले ही 25 एकड़ भूमि अपने योगदान के हिस्से के रूप में हस्तांतरित कर चुकी है। राज्य सरकार द्वारा कपड़ा आधारित प्रसंस्करण उद्योगों के विकास विस्तार और स्थिरता के लिए संयोजन एक उत्साहजनक पहल है। टेक्सटाइल आधारित वी आई के विस्तार विकास की सकारात्मक प्रवृत्ति केवल क्रेडिट को भंग करके आवश्यक इनपुट की उपलब्धता, तकनीकी सहायता की कमी, विशेषज्ञ पर्यवेक्षण की कमी, खराब बिजली आपूर्ति और विपणन संबंधी बाधाओं छोटे बुनकरों की समस्याओं से प्राप्त की जा सकती है।

- **वन आधारित उद्योगः**– बिहार मे वन संपदा प्रचुर मात्रा में पाये जाने के कारण यह राज्य औद्योगिक उत्पादन का केन्द्र है। वनों से प्राप्त कच्चा साम्रगी के आधार पर कागज, आरा मिल, गोंद, रेसिन, जड़ी बुटी इत्यादि का उत्पादन संगठित और असंगठित दोनों रूप में होता है।

- **कागज एवं गत्ता उद्योगः**– बिहार में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन होने के कारण अनेक उद्योग स्थापित किये गये है। ठाकुर पेपर मिल (समस्तीपुर), रोहतास पेपर मिल (डेहरी) तथा अशोक पेपर मिल (दरभंगा) है। इस उद्योग के लिए कच्चा माल घास एवं सबाई घास है, जिसकी बिहार के उत्तरी क्षेत्र में पर्याप्त उपलब्धता है। किंतु विगत दशकों में उचित रखरखाव और पुर्नवास की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण इसके आपूर्ति एवं उत्पादन में गिरावट आई है।

- **आरा मिल** :– भवन निर्माण के कार्य में लकड़ी एक महत्वपूर्ण साम्रगी है। बिहार में मूलतः लकड़ी चंपारण के क्षेत्र– जैसे बाल्मिकीनगर तथा हिमालय के तराई क्षेत्र से होती है। बिहार में कुल निर्माण हेतु लकड़ी की माँग 6.9 मिलियन क्यूविक मीटर थी, जबकि इसकी आपूर्ति महज 0.55 मिलियन क्यूविक मीटर से भी कम है। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में सबसे अधिक आरा मिल स्थापित है।

- **बाँस एवं बेंत** :– हिमालय के सीमावर्ती जिसे जो बिहार राज्य से सटे हुये है, जहाँ बाँस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पश्चिमी चंपारण के बनों से पर्याप्त बाँस का उत्पादन होता है। कच्चे मकान से लेकर किसी समारोह में बाँस का उपयोग अनिवार्य रूप से होता है।

● **कत्था**:— पूरे बिहार मे कत्था का उत्पादन केवल पश्चिमी चंपारण जिले मे होता है। यह खैर की लकड़ी से प्राप्त होता है, और पश्चिमी चंपारण के जंगलों में खैर की लकड़ी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। यह लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में अनेक स्थानों पर कार्यरत है।

● **चाय बगान**:— चाय बगान मुख्यता देश के पूर्वोत्तर राज्यों में फैले हुए है। पूर्वोत्तर के राज्य की भौगोलिक स्थिति चाय उत्पादन के अनुकूल है। बिहार के किशनगंज जिले में सबसे अधिक चाय की खेती होती है। वर्ष 1990—2000 में बिहार के चाय बगानों से 23 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ। इसमें 15000 श्रमिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए है। चाय की खेती लगभग 20000 एकड़ भूमि पर होती है। और इसके विकास एवं विस्तार के लिए राज्य सरकार काफी प्रयत्नशील है।

राज्य में चाय का उत्पादन मुख्यता पोठिया, ठाकुरगंज, किशनगंज, बहादुरगंज इत्यादि है। यह पूर्वोत्तर राज्यों के सीमा जैसे बंगाल, असम से सटे हुये है। भारतीय चाय बोर्ड में इस स्थान पर चाय बगान के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण, योजना भी बनाई है। चुँकि चाय के उत्पादन में निर्यात करने की बहुत संभावना के कारण, मुनाफा भी अधिक होता है।

● **मखाना उद्योग**— दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया तथा उत्तरी बिहार लगभग 8 जिलों में मखाना की उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। दरभंगा में इसके लिए मखाना अनुसंधान केन्द्र की स्थापना भी की गई है। मखाना का विश्वव्यापी माँग होने से इसके विकास एवं विस्तार की अपार संभावनाएँ विद्यमान है।

● **शहद उद्योग**:— शहद में गुणकारी औषधीय गुण पाया जाता है। शहद उद्योग के उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिला का मुख्य स्थान है। हाँलाकि कई जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है। शहद उद्योग में भी बहुत अधिक आय प्राप्ति की संभावना विद्यमान है।

● **फल प्रोसेसिंग उद्योग**:— उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिला लीची रस के प्रसंस्करण के लिए विख्यात है।

● **मशाला एवं तंबाकु उद्योग**:— मखाना एवं तंबाकु उत्पादन के लिए संपूर्ण बिहार में समस्तीपुर एवं बेगुसराय जिला प्रसिद्ध है। इन दोनों जिलों को इसके उत्पादन से भरपूर आय की प्राप्ति होती है।

● **अन्य** :— इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधन पर आधारित अनेक उद्योग पूरे राज्य में फैले हुए है। जैसे— गोंद, शहद, मोम इत्यादि। बिहार में जड़ी बुटी पर आधारित आयुर्वेदिक फार्म एवं कारखाने भी है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में प्रभात जर्दा की फैक्ट्री है। इसके अतिरिक्त राज्य में तंबाकू एवं बीड़ी उद्योग में लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

कृषि आधारित उद्योग

बिहार में वर्तमान फसल उत्पादन के प्रारूप कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो वर्षो (2017—18 और 2018—19) में कुल 742.54 करोड़ रूपये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में हुआ है।

● **चीनी उद्योग**

चीनी उद्योग में बिहार की हिस्सेदारी भारत में कुल गन्ना उत्पादन में 3.5 प्रतिशत है। राज्य सरकार गन्ने की खेती और चीनी उत्पादन की क्षमता का गंभीरता से उपयोग कर रही है। चीनी का उत्पादन इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया से प्राप्त उप–उत्पादों के कई उपयोग होते हैं। उप उत्पादों के रूप में खोई की प्राप्ति होती है। खोई गन्ने की पेराई के बाद गन्ने का रेशेदार अवशेष है, इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके लिए इसका उपयोग कागज बनाने के लिए भी किया जाता है।

बिहार में वर्त्तमान में 11 चीनी मिले चल रही है, जो 6 जिलों में फैली हुई है। 11 में से 7 चीनी मिले दो जिलो में है पश्चिमी चंपारण (4) तथा गोपालगंज में 3 चीनी मिले हैं। यह उत्तर पश्चिमी बिहार में चीनी मिलों की सघनता को दर्शाता है। वर्ष 2018–19 में 19810.17 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 84.02 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया। 2017–18 से 2018–19 के बीच राज्य में गन्ने के उत्पादन में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि चीनी के उत्पादन में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चीनी के अधिक उत्पादन के कारण रिकवरी दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ जो 2017–18 में 9.57 प्रतिशत से बढ़कर 10.37 प्रतिशत वर्ष 2018–19 में हो गया।

चीनी उत्पादन के सभी चीनी मिलो ने एथिल अल्कोहल, बिजली और जैब उर्वरक जैसे उपयोगी उप उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता स्थापित की है। एथिल अल्कोहल का उत्पादन करने के लिए 6 चीनी मिलों द्वारा स्थापित कुल डिस्टिलरी क्षमता 395 लीटर प्रतिदिन था। बाघा और सिघवालिया की चीनी मिले अपने परिसरों में डिस्टिलरी लगाने की प्रक्रिया में है। वर्ष 2018–19 के पेराई सत्रों में 11 चीनी मिलों मे से 8 मिलों के खोई से बिजली का उत्पादन किया और कुल मिलाकर 88.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ। इसके अलावा हरिनगर, नरकटियागंज और रीगा चीनी मिलों में जैव उर्वरक ईकाईयाँ स्थापित की गई। स्थापित क्षमता के उपयोग में सुधार के कारण बिहार में पेराई सत्र 2018–19 में बढ़ा दिया गया है। 2015–16 में पेराई सत्र केवल 95 दिनों की थी, जो 2018–19 में बढ़कर 145 दिनों की हो गई है, जो मात्र 4 वर्षो में 52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करती है।

गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार वर्त्तमान में तीन स्तरीय बीज प्रतिस्थापन कार्यक्रम लागू कर रही है, जिसे मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2018–19 में कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित उपायों को लागू किया गया।

(i) चीनी मिलों को आधार बीज उगाने के लिए 25000 रू0 प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुआ है।

(ii) उच्च उत्पादकता के लिए एवं प्रमाणित बीजों को बढ़ावा देने के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए 160 रू प्रति क्विंटल और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 200 रू. प्रति क्विंटल बीज की 16 सूचीबद्ध प्रमाणित किस्मों की खरीद पर काश्तकारों को दिये गये थे। इस कार्यक्रम के तहत 682.78 लाख का वितरण किया जा चुका है।

(iii) प्रमाणित बीजों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 30 रू. प्रति क्विंटल पेशकश की गई थी। राज्य सरकार ने इसके लिए 2018–19 में 351 लाख रूपये आवंटित किये है। जिसमें प्रमाणित बीजों के काश्तकारों को 126 लाख का वितरण किया गया। 2018–19 में उपर्युक्त पहलो से लगभग 8468 किसानों को लाभ हुआ । और लगभग 7023 हेक्टेयर गन्ने के खेत को शामिल किया गया।

गैर कृषि आधारित उद्योग

हथकरघा और पावरलूम

कपड़ा उत्पादन के स्वचालन के युग में और कपड़ा उद्योग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने के प्रारंभिक चरण में हथकरघा देश और विदेश दोनों में अपस्केल बाजारों में खान–पान करके जीवित रहता है। बुनाई समुदाय राज्य के सांस्कृतिक इतिहास की विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हथकरघा बुनकर समुदाय को राज्य सरकार की सुरक्षा नीति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तालिका 3.20 बतलाती है कि बिहार में 13 स्थानों ने विभिन्न प्रकार के कपड़े और कपड़े की सामग्री के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल की है। कुछ कलस्टर विशेष रूप से निर्यात बाजार के लिए हथकरघा उत्पादों का उत्पादन भी करती है। तालिका 3.21 से पता चलता है कि राज्य सरकार विभिन्न स्थानों पर बुनकरों के बीच कौशल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। 2013–14 से राज्य सरकार प्रतिवर्ष 204 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में मदद कर रही है और रिपोर्ट में दर्शायी गई उपलब्धि दर 78.4 प्रतिशत है। तालिका 3.22 राज्य में हथकरघा और पावरलूम बुनकरों को बढ़ावा देने और सब्सिडी देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डालता है।

रेशम के कीड़ो का पालन

रेशम आधारित उत्पादन में बिहार में उल्लेखनीय संभावनाएँ है। बिहार में तीन प्रकार के रेशम की खेती की जाती है। शहतूत, तसर और अरंडी। तसर को छोड़कर शहतूत और अरंडी के उत्पादन में कमी आई है, और इसलिए 2017–18 और 2018–19 के बीच शहतूत उत्पादन के बीच 78.04 टन की गिरावट आई है जो कि पिछले साल के उत्पादन का केवल 43 प्रतिशत है। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 600 करोड़ रूपये आवंटित वर्ष 2019–20 के लिए किया है। इसमें 1.51 करोड़ रेशम फार्म का निर्माण, सिंचाई के लिए आवंटित है। दूसरा राज्य सरकार ने किशनगंज में एक मलबरी भवन की आवश्यकता को महसूस किया है, तथा 56.46 लाख इस मद में आवंटित किया है। इसके अतिरिक्त सुपौल मे एक रिलींग ईकाई निर्माणधीन है।

खादी और ग्रामोद्योग

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ग्राम के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ करता है, जैसे– नए कौशल के ज्ञान का प्रसार, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, अनुसंधान एवं विकास। पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में शुरू किया गया था। पिछले तीन वर्षो में 2016–17 से 2018–19 के लिए बिहार में प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना की जानकारी तालिका 3.24 में दिखाया गया है। 2017–18 की तुलना में भौतिक एवं वित्तीय दोनों लक्ष्यों को 2018–19 में काफी हद तक संशोधित किया गया है। लाभार्थियों की संख्या 2017–18 में 2850 से बढ़कर 2018–19 में 4348 हो गई जो 52 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी प्रकार वित्तीय आवंटन भी 2017–18 में 5653 लाख से बढ़कर 2018–19 में 10869 लाख रूपये हो गया है जिसमें 93 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि डीआईसी ने 2018–19 में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत कुशलता से प्रदर्शन किया। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा 2017–18 में शुरू की गई योजनाओं से लक्षित समूहों को लाभ हो रहा है।

पर्यटन

राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर बिहार में पर्यटन स्थल के रूप में बोधगया, राजगीर, नालंदा और वैशाली ऐतिहासिक रूप से विख्यात है। इसी को ध्यान में रखते हुये पर्यटक को आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने आठ पर्यटक सर्किट बनाए हैं– (1) बुद्धिस्त सर्किट, (2) जैन सर्किट (3) रामायण सर्किट (4) शिवशक्ति सर्किट (5) सूफी सर्किट (6) सिख सर्किट (7) गाँधी सर्किट (8) इको मार्केट। पिछले दशक में पर्यटक विभाग के सहयोग से पर्यटक को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न जगहों को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

निष्कर्ष

बिहार कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। राज्य के विभाजन के बाद जब खनिज संपदा झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र में चला गया तो बिहार बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के बाद भी अपने संसाधनों जैसेः– कृषि योग्य मैदानी उपजाऊ भूमि, पर्याप्त जल भंडार, फलों एवं सब्जियों की उच्चतर गुणवत्ता, मत्स्य पालन जो कि कृषि प्रसंस्करण आधारित उद्योगों की नींव हैं, उस पर शुरूआती दिनों में ध्यान नहीं दिया जिसके फलस्वरूप विभाजन के बाद औद्योगिक विकास की गति धीमी हो गयी और अर्थव्यवस्था पिछड़ने लगी।

संदर्भ सूची

1. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, बिहार सरकार,
2. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, बिहार सरकार, 2008–09
3. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, बिहार सरका, 2007–08
4. औद्योगिक वार्षिक रिपोर्ट, 1997–98 राज्यों की भौतिक विशेषताएँ
5. उद्योग मंत्रालय रिपोर्ट, बिहार सरकार, 2020
6. गन्ना विभाग रिपोर्ट, बिहार सरकार 2018–19
7. गन्ना विभाग रिपोर्ट, बिहार सरकार–2016–2019
8. बिहार राज्य दूग्ध सहकारी संघ लिमिटेड (कॉम्फेड), बिहार सरकार– 2018–19
9. बिहार राज्य दूग्ध सहकारी संघ लिमिटेड (कॉम्फेड) बिहार सरकार 2014–2019
10. बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ, लिमिटेड (कॉम्फेड) बिहार सरकार– 2019
11. हथकरघा उद्योग विभाग, बिहार सरकार
12. हथकरघा उद्योग विभाग, बिहार सरकार
13. रेशम वस्त्र उद्योग विभाग, बिहार सरकार
14. उद्योग विभाग रिपोर्ट, बिहार सरकार
15. बजट दस्तावेज रिपोर्ट, बिहार सरकार
16. पर्यटन मंत्रालय रिपोर्ट, बिहार सरकार